

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक - 26.06.2025

एसओजी/सर्विलांस/थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 93/2025 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 96/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित पाँच – पाँच हजार रुपये के इनामिया वांछित 04 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस टीम गठित कर उपरोक्त अभियोग में त्वरित कार्यवाही करने व इनामिया अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में एसओजी/सर्विलांस/थाना कम्पिल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 इनामिया नफर अभियुक्तगण 1. दिलीप 2 अजीत 3.गौरव 4. नन्हू को गिरफ्तार कर अभियुक्त दिलीप के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर व समस्त अभियुक्तगणों के कब्जे से घटना से सम्बन्धित कुल 50560/- रुपये नगद बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



अभियुक्त दिलीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 125/25 धारा 304 बीएनएस थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 128/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना नबावगंज जनपद फतेहगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 93/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल फतेहगढ़ ।

अभियुक्त अजीत व गौरव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 128/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना नबावगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 93/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल फतेहगढ़ ।

अभियुक्त नन्हू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 93/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष विश्वनाथ आर्य
2. व0उ0नि0 भभूती प्रसाद
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार
4. का0 अमित कुमार
5. का0 सुमित कुमार

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीम -

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. प्रभारी उ0नि0 श्री सचिन चौधरी | 6. का0 सौरभ धीमान |
| 2. उ0नि0 श्री राजेश राय | 7.का0 विनोद सिंह |
| 3. हे0का0 करन यादव | 8.का0 धर्मेन्द्र सिंह |
| 4. हे0का0 बलवीर सिंह | 9.का0 दिव्याशुं |
| 5. का0 विकास चन्द्र | |

गिरफ्तार करने वाली सर्विलास पुलिस टीम -

1. प्रभारी उ0नि0 श्री दीपक भाटी
2. हे0का0 सचेन्द्र सिंह चौहान
3. हे0का0 अनुराग कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 26.06.2025

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को चोरी किये गये मोबाइल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं० 47/25 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त मनोज यादव पुत्र स्व० बालिस्टर निवासी अहिवरन नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर कि सूचना पर चोरी किये गये सैमसंग कम्पनी के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. मनोज यादव पुत्र स्व० बालिस्टर निवासी अहिवरन नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादिया श्रीमती पिकी पत्नी लखन सिंह निवीसी ग्राम नोनियमगंज कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ने दिनांक 06.03.2025 को कोतवाली कायमगंज पर अपना मोबाइल सैमसंग कम्पनी रंग सफेद नाम पता अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 47/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त मनोज यादव पुत्र स्व0 बालिस्टर निवासी अहिवरन नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को 01 मोबाइल फोन रंग सफेद सैमसंग कंपनी सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त मनोज यादव उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने इस सैमसंग मोबाइल फोन को दिनांक 04.03.25 की रात में ग्राम नोनियमगंज कोतवाली कायमगंज से एक घर से चुराया था। जिसमें एयरटेल का सिम पड़ा हुआ था पकड़े जाने के डर से सिम को मैंने तोड़ कर नाले में फेंक दिया था तथा इससे पूर्व एक ई-रिक्षा को मैंने अपने दोस्त राजा कश्यप उर्फ कल्लू पुत्र भूरेलाल निवासी दतू नगला, सूरज पुत्र भूरेलाल निवासी गुलबाजनगर व अरूण जाटव पुत्र बहादुर सिंह निवासी गुलबाजनगर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के साथ मिलकर मीना गेस्ट हाउस के पास से दिनांक 27.04.25 को रात के समय चोरी किया था। ई-रिक्षा को बेचने के लिये हम चारो लोग लखनपुर रोड पर एक आम के बाग में खड़े थे वहाँ पुलिस आ गयी थी। मैं और अरूण मौके से भाग गये थे परन्तु राजा कश्यप व सूरज को पुलिस ने पकड़ लिया था। मैं इस फोन को भी बेचने के लिये आया था लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया मुझसे गलती हो गयी है, मुझ माफ कर दो।

अभियुक्त मनोज यादव उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 47/25 धारा 305 बीएनएस भादवि0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 24/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 98/25 धारा 303(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण -

01 मोबाइल फोन रंग सफेद, सैमसंग कंपनी

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम -

1. उ0नि श्री अवधेश कुमार
2. आरक्षी अंकित गंगवार
3. आरक्षी आशू देओल

मीडिया सेल फतेहगढ़।